

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(240)वित्त-1(1)आ.व्यय/2014/

जयपुर, दिनांक : 31-03-2016

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 916 / 2015-16)

विषय :- "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध राशि में से वर्ष 2015-16 के लिए जिला परिषद के पी.डी. खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध कोष योजना में से अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 () परावि / पी.सी. / निरायो / बजट / 2015-16 / 146 दिनांक 31.3.2016 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 54/2015-16) के अनुसार जिला परिषदों के निजी निक्षेप खाते में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि 299.91 लाख (अक्षरे राशि रु. दो करोड़ निम्नानवे लाख इकरानवे हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे :-

-: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद :- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(15)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	(16)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	(17)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	
152.28.3695	119.12	152.4205	299.91

(अक्षरे राशि रु. दो करोड़ निम्नानवे लाख इकरानवे हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना मद दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना प्रशासनिक विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

Wst/hdr
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. उपशासन सचिव वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासनिक), जल ग्रहण विभाग एवं भूसंरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Wst/hdr
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4() परावि/पीसी/निरायो/बजट/2015-16/ 146

जयपुर, दिनांक : 31/3/2016

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 54/2015-16)

“मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” के लिए निर्बंध राशि में से वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 299.91/- लाख (अक्षरे राशि रु. दो करोड़ निन्यानवे लाख इकरानवे हजार मात्र) जिला परिषद के पी.डी. खातों में संलग्न सारणी अनुसार हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग “मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21(07)निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/198-630 दिनांक 30.10.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं निर्बंध योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के उपयोग हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21(08) निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/2015-2428 दिनांक 03.12.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार ही किया जावे तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम की पालना सुनिश्चित की जावे। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	योग (राशि लाखों में)
196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता मांग सं. 41 (15)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता मांग सं. 30 (16)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता मांग सं. 51 (17)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	299.91
28.3695	119.12	152.4205	

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अवशेष राशि का विवरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331600261 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर.एस. मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार राशि रु. 299.91 लाख संबंधित जिला परिषद के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित राजस्थान।
12. परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद सम्बन्धित।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित, राजस्थान।
14. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

**“मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” के लिए निर्बंध राशि में से वित्तीय वर्ष
2015-16 में जिला परिषदों को आवंटित की जाने वाली राशि की सूची**

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	कोषालय/ जिला परिषद	2515-00-196-(15)-[02]-12 आयोजना	2515-00-196-(16)-[02]- 12 आयोजना	2515-00-196-(17)-[02]- 12 आयोजना	योग
1	कोटा	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
2	सिरोही	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
3	डूंगरपुर	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
4	जैसलमेर	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
5	झालावाड़	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
6	राजसमंद	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
7	नागौर	3.5400	14.8900	19.0500	37.48
8	उदयपुर	3.5895	14.8900	19.0705	37.55
	योग	28.3695	119.12	152.4205	299.91


वित्तीय सलाहकार
पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर